सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 652 राँची, गुरुवार, 10 भाद्र, 1938 (श०) / 1 सितम्बर, 2016 (ई०)

योजना-सह-वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

संकल्प

31 अगस्त, 2016

विषय: **राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भाँति दिनांक 1 जनवरी, 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित सप्तम केन्द्रीय वेतनमान की स्वीकृति हेतु फिटमेंट कमिटी का गठन ।**

संख्या-11/07 (वे०आ०)-01/2016/2530/वि०-- राज्य सरकार अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय सेवाशर्तों के साथ केन्द्रीय वेतनमान, भत्ता एवं अन्य सुविधायें यथा चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, ग्रुप बीमा, आवासीय किराया भत्ता इत्यादि और सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभों को केन्द्र के अनुरूप स्वीकृत करने के लिए सैद्धान्तिक रूप से सहमत है ।

2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2687/वि॰ दिनांक 15 सितम्बर, 2008 के द्वारा राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भाँति दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान की स्वीकृति हेतु फिटमेंट कमिटी का गठन किया गया एवं तद्नुरूप वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 28 फरवरी, 2009 के द्वारा राज्य कर्मियों हेतु छठा वेतन पुनरीक्षण लागू किया गया।

3. केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों के लिए संकल्प संख्या 1-2/2016/आई॰सी॰सं॰ 246 दिनांक 25 जुलाई, 2016 द्वारा सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित सप्तम केन्द्रीय वेतनमान लागू किया गया है ।

4. चूँकि केन्द्र के अनुरूप अपने सेवीवर्ग को भी पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान देने हेतु राज्य सरकार सैद्धान्तिक रूप से सहमत है, अतः उक्त सैद्धान्तिक सहमति के आलोक में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के अनुरूप राज्य कर्मियों को केन्द्रीय सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान एवं सुविधाएँ स्वीकृत करने के लिए आवश्यक अनुशंसा करने हेतु निम्न रूप से एक फिटमेंट कमिटी गठित करने का निर्णय लिया है:-

(i) डा॰ देवाशीष गुप्ता, सेवानिवृत्त विकास आयुक्त
सम्प्रति अध्यक्ष, SIT, Jharkhand - अध्यक्ष

(ii) श्री विनोद चन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
(सेवानिवृत्त विशेष सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग) - सदस्य

(iii) श्री राजू रंजन राय, उप सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग - सदस्य सचिव

फिटमेंट कमिटी के लिए सचिवालीय सहायता, निधि आदि की व्यवस्था योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) द्वारा की जायेगी, जिसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा। फिटमेंट कमिटी के अध्यक्ष तथा सदस्य, सम्प्रति अपने कार्यों के अतिरिक्त इस कार्य का निष्पादन करेंगे ।

5. समिति निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी अनुशंसा देगी:-

(i) केन्द्रीय सातवाँ वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी, 2016 से स्वीकृत वेतनमान की भांति राज्य कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी, 2016 से सप्तम पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में अनुशंसा। ऐसा करते समय फिटमेंट कमिटी यह ध्यान में रखेगी कि जिन कर्मियों को केन्द्रीय वेतनमान से अधिक या कम वेतनमान मिल रहा है उन्हें भी केन्द्रीय कर्मियों के समरूप ही वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा ।

(ii) केन्द्र के अनुरूप ही राज्य कर्मियों के लिए भी वेतन निर्धारण का फ़ॉर्मूला अपनाया जायेगा ।

(iii) केन्द्र सरकार द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के आलोक में केन्द्रीय पेंशन भोगी एवं पारिवारिक पेंशन भोगी के लिए, लिये गये निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशन भोगी/ पारिवारिक पेंशन भोगी को पेंशन एवं अन्य सुविधा प्रदान करने हेतु फिटमेंट कमिटी अनुशंसा करेगी ।

6. सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के दृष्टिपथ में भत्ते एवं अन्य सुविधा के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा आदेश निर्गत होने के उपरांत इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

7. समिति का कार्य काल दो माह का होगा । इस अवधि में समिति अपना प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से सरकार के समक्ष समर्पित करेगी ।

8. समिति अपनी अनुशंसाओं को गठित करने के लिए प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी और इसके लिए आवश्यक सूचना एकत्रित करेगी ।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2463/वि॰ दिनांक 23 अगस्त, 2016 के क्रम में दिनांक 23 अगस्त, 2016 की बैठक के मद सं॰ 19 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमित खरे,
अपर मुख्य सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 652 –50 ।